

(9)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**  
**समक्ष : मनोज गोयल,**  
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 194-पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-11-2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 151/अपील/2013-14.

.....  
श्रीमती सविता मिश्रा पत्नी श्री आर.आर.मिश्रा  
निवासी एचआईजी-ए-3, बीमाकुंज परिसर  
कोलार रोड़ भोपाल

..... आवेदिका

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन  
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी  
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदक

.....  
श्री बी0एन0कोचर, अभिभाषक- आवेदिका

.....  
**:: आ दे श ::**

( आज दिनांक: 1/6/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-11-2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-7-2013 के विरुद्ध के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 27-9-2014







को लगभग एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुये कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई और प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और तहसील न्यायालय में अन्य पक्षकार थे जिन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3-11-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित नहीं कर केवल तकनीकी बिन्दु पर आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे जिन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हुई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।


4/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका की ओर से अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र विलम्ब का कारण बताते हुये प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अपील को अवधि बाह्य मानने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं

है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-11-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

6/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 195-पीबीआर/2015 (श्रीमती सरोज शुक्ला पत्नी श्री एल0के0पाण्डे निवासी कमिश्नर बंगले के पीछे, आकृति टाकीज रोड, रीवा, हाल भोपाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय तहसील हुजूर जिला भोपाल) पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर